□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□□: 3400
12 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□□□□□□ □ो □□□□□□□

3400. □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार □ल□□□ □त्री□ यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार राज्य म प्रधनामंत्री जन-आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) हेतु निधि आबंटन और लाभार्थियों को संख्या को निगरानी हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों को देखभाल हेतु निजी अस्पतालों को भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु कोई उपाय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) व (ख) : इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

अधिकतम उच्चतम सीमा के आधार पर बिहार राज्य को अधिकतम सहायता अनुदान 720.17 करोड़ रू. दिया जा सकता है। उपयुक्त का आवंटन बिहार राज्य के लिए किया जा चुका है।

(ग) व (घ) : राज्य सरकार अभिज्ञात लाभार्थी परिवारों को परिचया प्रदान करने के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के अंदर राज्य स्वास्थ्य एजसियों के माध्यम से अस्पतालों को पैनलबद्ध करती ह। जहां तक पीएमजेएवाई के तहत निजी अस्पतालों का संबंध है, राज्यों द्वारा निर्धारित मानदंड व अस्पताल पैनलबद्धता संबंधी दिशा-निदश अपनाए गए ह। दिनांक 09.07.2019 को स्थिति के अनुसार, पीएमजेएवाई के तहत 15,955 अस्पताल (7992 निजी व 7963 सावजनिक) पैनलबद्ध किए गए ह।

****